स्थायी वित्त निर्देश 02/2024 का शुद्धि पत्र

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 324/167/वि/नि/चार/2024, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/05/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः—शासकीय सेवकों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों का पुनरीक्षण।

——0——

इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 295/167/वि/नि/चार/2024, दिनांक 13.05.2024 (स्थायी वित्त निर्देश 02/2024) द्वारा शासकीय सेवकों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों का पुनरीक्षण किया गया है, जिसके बिन्दु क्रमांक 9 में **राज्य के अंदर यात्रा हेतु** "बी" श्रेणी के अधिकारियों के लिए दैनिक भत्ता की दर त्रुटिवश 800/— अंकित हो गया है।

अतः **"बी"** श्रेणी के अधिकारियों के लिए **"अंकित त्रुटिपूर्ण दैनिक भत्ता की दर 800/— के स्थान पर 500/— पढ़ा जावे।"**

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

पृ.क्रमांक 325/167/वि/नि/चार/2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/05/2024

प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर—19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

— को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

स्थायी वित्त निर्देश02/2024

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 295 167/वि/नि/चार/2024, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/05/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–शासकीय सेवकों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों का पुनरीक्षण।

संदर्भः–1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 45/सी–18029/वि/नि/चार/2011, दिनांक 01.03.2011 (वित्त निर्देश 06/2011)

2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 189/सी–18029/वि/नि/चार/2011, दिनांक 13.06.2011 (वित्त निर्देश 24/2011)
3. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 337/सी–18029/वि/नि/चार/2011, दिनांक 13.10.2011 (वित्त निर्देश 48/2011)
4. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 33/सी–18029/12/वि/नि/चार/2012, दिनांक 31.01.2012 (वित्त निर्देश 04/2012)
5. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 221/एफ–1000415/वि/नि/चार/2012, दिनांक 15.06.2012 (वित्त निर्देश 45/2012)
6. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 424/एफ 2016–04–03194/वि/नि/चार, दिनांक 28.10.2016 (वित्त निर्देश 28/2016)
7. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 504/एफ 2016–01–00998/वि/नि/चार, दिनांक 16.12.2016 (वित्त निर्देश 36/2016)

––0––

राज्य शासन के कर्मचारियों के लिये यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की दरें संदर्भित ज्ञापनों द्वारा निर्धारित है । राज्य शासन एतद् द्वारा उपरोक्त सभी ज्ञापनों को अधिक्रमित करते हुए वर्तमान श्रेणीकरण, यात्रा भत्ता की दर एवं स्वरूप में निम्नानुसार संशोधन करती है–

......2

1. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता के पूरक नियम 4 के अनुसार निम्नानुसार श्रेणीकरण का निर्धारण किया जाता है –

श्रेणी ए – **लेवल**–17 (ग्रेड पे 10000) या इसके अधिक वेतन प्राप्त करने वाले तथा एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

श्रेणी बी – लेवल–14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक किन्तु लेवल–17 (ग्रेड पे 10000) से कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

श्रेणी सी – लेवल–10 (ग्रेड पे 4400) या इससे अधिक किन्तु लेवल–14 (ग्रेड पे 7600) से कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक।

श्रेणी डी – लेवल–6 (ग्रेड पे 2400) या इससे अधिक किन्तु लेवल–10 (ग्रेड पे 4400) से कम वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक।

श्रेणी ई – लेवल–6 (ग्रेड पे 2400) से कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक।

2. पूरक नियम 20 (सी) के अनुसार रेल द्वारा की गई यात्रा हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी–

श्रेणी	राजधानी	शताब्दी/वंदे भारत/तेजस	सामान्य
ए	ए.सी. प्रथम श्रेणी	एक्सीक्यूटिव क्लास	रेल की उच्चतम श्रेणी
बी	ए.सी. 2 टीयर	ए.सी. चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
सी	ए.सी. 3 टीयर	ए.सी. चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
डी	–	–	शयनयान श्रेणी, (वातानुकूलित नहीं) एवं वातानुकूलित कुर्सीयान
ई	–	–	शयनयान श्रेणी, (वातानुकूलित नहीं)

3. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 21 के अनुसार हवाई यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी –

(अ) एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

(ब) वेतन लेवल–14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

....3

(स) (ब) मे उल्लेखित प्रावधान से कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी देश के अंदर विमान के एकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

4. वेतन लेवल-12 (ग्रेड पे 5400) या इससे अधिक किन्तु वेतन लेवल-14 (ग्रेड पे 7600) से कम वेतन आहरण करने वाले अधिकारी भी प्रशासकीय विभाग के पूर्वानुमति से एकोनामी क्लास में यात्रा के पात्र होगें। ऐसी स्वीकृति के पूर्व विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि प्रस्तावित यात्रा अपरिहार्य है तथा नियमानुसार राज्य से बाहर की यात्रा हेतु प्रशासकीय विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

टीप – भारत सरकार द्वारा देश के अंदर किसी शहर में आयोजित बैठकों की सूचना पर्याप्त समय पूर्व प्राप्त न होने पर इन बैठकों में जिस स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है उसी स्तर के अधिकारियों को अथवा विशेष परिस्थिति में केवल उससे एक स्तर कम के ऐसे अधिकारियों को ही बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाये, जिनका वेतन लेवल -12 (ग्रेड पे 5400) से कम नहीं हो तथा जिनकी बैठक में उपस्थिति अपरिहार्य एवं शासन के हित में हो ।

5. राजस्व एवं न्यायालयीन प्रकरणों में आवश्यकता के आधार पर नई दिल्ली की हवाई यात्रा के प्रकरणों में संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर द्वारा उनकी स्थापना में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमति प्रदान करने हेतु प्रशासकीय विभाग को प्राप्त अधिकार का उपयोग किया जा सकेगा।

6. उपरोक्त हवाई यात्रा की पात्रता की श्रेणी के अतिरिक्त यदि अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपरिहार्य कारणों से हवाई यात्रा किया जाता है तो उनकी स्वीकृति हेतु प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किये जायेंगे जिस पर गुण दोष के आधार पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

7. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 22 के अनुसार लोक वाहन द्वारा सड़क यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी-

(अ) श्रेणी "ए", श्रेणी "बी" तथा श्रेणी "सी" के शासकीय सेवक को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी।

(ब) श्रेणी "डी" के शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस तथा वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी।

(स) श्रेणी "ई" के शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर अथवा सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पात्रता होगी।

....4

8. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 25 के अनुसार मील भत्ता की दरें निम्नानुसार होगी –

शासकीय सेवक की श्रेणी	यात्रा का साधन	दर (प्रति कि.मी.)	अभ्युक्ति
ए एवं बी	स्वयं की कार टैक्सी (ए.सी. टैक्सी शामिल)	12 रूपये 14 रूपये	1. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई हो तथा इसकी रसीद प्रस्तुत की गई हो। 2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा हो तो टैक्सी द्वारा की गई यात्रा शासकीय सेवक द्वारा रेल द्वारा यात्रा की पात्रता की श्रेणी के किराये से सीमित किया जाएगा।
सी	स्वयं की कार टैक्सी (नान ए.सी.)	12 रूपये 12 रूपये	1. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई हो तथा इसकी रसीद प्रस्तुत की गई हो। 2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा हो तो कार या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा शासकीय सेवक द्वारा रेल द्वारा यात्रा की पात्रता की श्रेणी के किराये से सीमित किया जाएगा।
समस्त श्रेणी	स्वयं की मोटर सायकिल अन्य साधन	5 रूपये 2 रूपये	

9. राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 32 के अनुसार दैनिक भत्ता के स्थान पर नगर श्रेणी (एक्स, वाई, जेड) के अनुसार दैनिक भत्ता, आवास एवं स्थानीय परिवहन हेतु अलग–अलग दरें निर्धारित की गई है, जो निम्नानुसार है –

राज्य के अंदर यात्रा हेतु

शासकीय सेवक की श्रेणी	दैनिक भत्ता	आवास (प्रतिदिन होटल व्यय)		स्थानीय परिवहन प्रतिदिन	
	वाए/जेड	वाए	जेड	वाए	जेड
ए	800	4000	2000	550	350
बी	800	3000	1200	450	300
सी	300	1500	600	300	200
डी	200	1000	400	200	150
ई	160	500	250	150	100

....5

राज्य के बाहर यात्रा हेतु

शासकीय सेवक की श्रेणी	दैनिक भत्ता नगर की श्रेणी के अनुसार		आवास (प्रतिदिन होटल व्यय)		स्थानीय परिवहन प्रतिदिन	
	एक्स	वाए/जेड	एक्स	वाए/जेड	एक्स	वाए/जेड
ए	1000	800	10000	7500	3000	1800
बी	600	500	7000	4000	2000	1250
सी	400	300	3000	2000	1000	625
डी	300	200	1500	1250	750	500
ई	200	160	1200	1000	375	250

टीपः— अधिकारी/कर्मचारियों के दिल्ली प्रवास पर होटल व्यय के दावे के लिए छत्तीसगढ़ भवन तथा छत्तीसगढ़ सदन में आवास की व्यवस्था न होने का प्रमाण–पत्र आवासीय आयुक्त कार्यालय से प्राप्त किया जाना होगा।

विशेष विराम भत्ता –

छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम–55 ए के अंतर्गत राज्य के बाहर की यात्रा हेतु विशेष विराम भत्ता की पात्रता आधा दैनिक भत्ता के स्थान पर एक दैनिक भत्ता की होगी।

टीपः—1. नगरों का श्रेणीकरण भारत शासन के ज्ञापन क्रमांक 2/5/2017- E, II(B) दिनांक 07.07.2017 के साथ संलग्न परिशिष्ट (जो इस ज्ञापन के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है) के अनुसार होगा।

2. राज्य के अंदर यात्रा हेतु प्रवास स्थान पर शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस/गेस्ट हाऊस इत्यादि के स्थान उपलब्ध होने पर निवास हेतु इसे प्राथमिकता दी जाये।

3. होटल व्यय की उक्त सीमा सभी प्रकार के करों को शामिल करते हुए होगी। होटल में ठहरने पर होटल किराये की तथा स्थानीय यात्राओं के लिए माईलेज की किराये की रसीद यात्रा देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। माईलेज की पात्रता केवल उस तिथि के लिये होगी, जिस तिथि में शासकीय सेवक द्वारा उक्त स्थान पर शासकीय कार्य संपादित किया गया हो, मुकाम की अवधि 6 घंटे से कम न हो तथा आंशिक रूप से भी शासकीय वाहन का उपयोग नहीं किया गया हो।

4. यदि शासकीय सेवक अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करता है, अर्थात् यदि वह अपने परिचित/रिश्तेदार के यहां ठहरता है अथवा कोई अन्य व्यवस्था करता है तो ठहरने हेतु व्यय के प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी, किन्तु यदि वह किसी दिन स्थानीय यात्रा हेतु किराये का वाहन उपयोग करता है तथा आंशिक रूप से भी शासकीय वाहन का उपयोग नहीं करता है तो उपरोक्त पैरा के अनुसार वाहन किराये की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेगा।

.....6

5. मुख्यालय भत्ता एवं विशेष विराम भत्ता की पात्रता संशोधित दैनिक भत्ता के अनुसार होगा तथा इस हेतु लागू अन्य शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

6. दिल्ली प्रवास के दौरान प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारियों को आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली द्वारा वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इनमें से श्रेणी ए में शामिल अधिकारियों को हवाई अड्डा/रेल स्टेशन से छत्तीसगढ़ भवन तथा छत्तीसगढ़ सदन आने के लिए टैक्सी की इंतजाम भी वाहन सुविधा में शामिल होगा। इन अधिकारियों को यह विकल्प भी होगा कि वे शासकीय वाहन सुविधा का उपभोग न करते हुए उपरोक्तानुसार माईलेज प्राप्त करें।

7. अगर शासकीय सेवक किसी महानगर में केवल ट्रांजिट के लिए रूकता है एवं उस यात्रा में अपने परिवहन का साधन वायुयान से सड़क या रेल या इसके विपरीत बदलता है तो हवाई अड्डा से बस/रेल्वे स्टेशन अथवा इसके विपरीत तक की यात्रा हेतु पूरक नियम–23 के अनुसार स्थानीय परिवहन पर वास्तविक रूप से किये गये व्यय के प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। यह पात्रता श्रेणी ए में शामिल अधिकारियों को दोनों स्थानों के मध्य टैक्सी किराये की सीमा तक तथा अन्य शासकीय सेवकों के मामले में आटो रिक्शा किराये की सीमा तक होगी। इस हेतु दावा पावती द्वारा समर्थित होना आवश्यक नहीं है। ऐसे स्थानीय यात्राओं के लिए शासकीय सेवक को यह विकल्प भी होगा कि वह या तो उपर्युक्त पूरक नियम–23 के अनुसार अथवा इस ज्ञापन के अनुसार माईलेज प्राप्त करें।

10. शासकीय सेवक के स्थानांतरण पर की गई यात्रा हेतु स्थानांतरण पर सामान बांधने, खोलने, लादने, उतारने तथा अन्य प्रासंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित स्थानांतरण अनुदान तथा निजी सामान के परिवहन संबंधी पात्रता एवं दरों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है–

(अ) स्थानांतरण अनुदान –

शासकीय सेवक की श्रेणी	स्थानांतरण अनुदान की दर (रूपये)
ए	10000
बी	8000
सी	7000
डी	6000
ई	4000

....7

(ब) निजी सामान परिवहन –

शासकीय सेवक की श्रेणी	सड़क द्वारा (रूपये प्रति किलोमीटर)	रेल द्वारा
ए	18	6000 किलोग्राम
बी	18	6000 किलोग्राम
सी	15	5000 किलोग्राम
डी	10	3000 किलोग्राम
ई	10	1500 किलोग्राम

टीपः– 1. राज्य के बाहर स्थानांतरण के मामले में शासकीय सेवक को निजी सामान परिवहन की पात्रता समान वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्र शासन के कर्मचारी हेतु समय–समय पर लागू दर के अनुरूप होगी।

2. अखिल भारतीय सेवा के ऐसे सदस्य जिनकी राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति उपरांत राज्य में पदस्थापना होती है, उन्हें ऐसी पदस्थापना पर कार्य ग्रहण हेतु की गई यात्रा के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता समान वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्र शासन के अधिकारियों हेतु समय–समय पर लागू दर के अनुरूप होगी।

11. यह दर आदेश जारी होने के दिनांक से या इसके पश्चात् प्रारंभ की गई यात्रा/निजी सामान के परिवहन पर लागू होगा।

12. यह सुनिश्चित किया जाये कि यात्रा सक्षम स्वीकृति उपरांत मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा इस आदेश के अंतर्गत किये गये व्यय विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

परिशिष्ट

यात्रा भत्ता की गणना हेतु नगरों का वर्गीकरण

Sl.	STATES/ UNION TERRITORIES	CITIES CLASSIFIED AS "X"	CITIES CLASSIFIED AS "Y"
1.	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	---	---
2.	ANDHRA PRADESH/TELANGANA	Hyderabad (UA)	Vijayawada (UA), Warangal (UA), Greater Visakhapatnam (M.Corpn.), Guntur (UA), Nellore (UA)
3.	ARUNACHAL PRADESH	---	---
4.	ASSAM	---	Guwahati (UA)
5.	BIHAR	---	Patna (UA)
6.	CHANDIGARH	---	Chandigarh (UA)
7.	CHHATTISGARH	---	Durg-Bhilai Nagar (UA), Raipur (UA)
8.	DADRA & NAGAR HAVELI	---	---
9.	DAMAN & DIU	---	---
10.	DELHI	Delhi (UA)	---
11.	GOA		---
12.	GUJARAT	Ahmadabad (UA)	Rajkot(UA),Jamnagar (UA), Bhavnagar (UA), Vadodara (UA), Surat (UA)
13.	HARYANA	---	Faridabad*(M.Corpn.), Gurgaon* (UA)
14.	HIMACHAL PRADESH	---	---
15.	JAMMU & KASHMIR	---	Srinagar (UA), Jammu (UA)
16.	JHARKHAND	---	Jamshedpur (UA), Dhanbad (UA), Ranchi (UA), Bokaro Steel City (UA)

17.	KARNATAKA	Bangalore/Bengaluru (UA)	Belgaum (UA), Hubli-Dharwad(M.Corpn.), Mangalore (UA), Mysore (UA), Gulbarga (UA)
18.	KERALA	---	Kozhikode (UA), Kochi (UA),Thiruvanathapuram (UA), Thrissur (UA), Malappuram (UA), Kannur (UA), Kollam (UA)
19.	LAKSHADWEEP	---	---
20.	MADHYA PRADESH	---	Gwalior (UA), Indore (UA),Bhopal (UA), Jabalpur (UA).Ujjain (M. Corpn.)
21.	MAHARASHTRA	Greater Mumbai (UA), Pune (UA)	Amravati (M.Corpn.), Nagpur (UA), Aurangabad (UA), Nashik (UA), Bhiwandi (UA), Solapur (M.Corpn.), Kolhapur (UA), Vasai-Virar City (M. Corpn.), Malegaon (UA), Nanded-Waghala (M. Corpn.), Sangli (UA)
22.	MANIPUR	---	---
23.	MEGHALAYA	---	---
24.	MIZORAM	---	---
25.	NAGALAND	---	---
26.	ODISHA	---	Cuttack (UA), Bhubaneswar (UA), Raurkela (UA)
27.	PUDUCHERRY (PONDICHERRY)	---	Puducherry/Pondicherry (UA)
28.	PUNJAB	---	Amritsar (UA), Jalandhar (UA), Ludhiana (M.Coprn.)
29.	RAJASTHAN	---	Bikaner (M.Corpn.), Jaipur (M.Corpn.), Jodhpur (UA), Kota (M.Corpn.), Ajmer (UA)
30.	SIKKIM	---	---

31.	TAMIL NADU	Chennai (UA)	Salem (UA), Tiruppur (UA) Coimbatore (UA), Tiruchirappalli (UA), Madurai (UA), Erode (UA)
32.	TRIPURA	---	---
33.	UTTAR PRADESH	---	Moradabad (M.Corpn.), Meerut (UA), Ghaziabad" (UA), Aligarh(UA), Agra (UA), Bareilly (UA), Lucknow (UA), Kanpur (UA), Allahabad (UA), Gorakhpur (UA), Varanasi (UA), Saharanpur (M.Corpn.), Noida* (CT), Firozabad (NPP), Jhansi (UA)
34.	UTTARAKHAND	---	Dehradun (UA)
35	WEST BENGAL	Kolkata (UA)	Asansol (UA), Siliguri (UA), Durgapur (UA)

टीपः– ऐसे स्थान जो "X" तथा "Y" श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नहीं है, वे "Z" श्रेणी में शामिल माना जायेंगे।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 296/167/वि/नि/चार/2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/05/2024

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

(इन्द्रप्रकाश सत्रे)
अवर सचिव